दिनांक 18.08.15 को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी (JSWSMS) की कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
2. विशेष सचिव सह निदेशक, ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. उपसचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।
5. संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।
6. उपसचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार।
7. उपनिदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार।

बैठक की कार्यवाहीः–

विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा सर्वप्रथम बैठक में आये हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक के उद्देश्यों की जानकारी दी गई।

बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रस्तावों एवं विचारार्थ प्रस्तुत किये गये बिन्दुओं पर निम्न निर्णय लिये गये :–

मुख्य प्रस्ताव सं0–1 दिनांक 01.05.15 को कार्यकारी समिति की बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव सं0–2 सर्वसम्मति से अंकेक्षकों की नियुक्ति पर स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव सं0–4 विश्व बैंक एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित वार्षिक कार्य योजना पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव सं0–5 परियोजनाधीन जिलों में Baseline survey हेतु टैबलेट का क्रय DGS&D दर पर लेने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव सं0–6 विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाना है

जिससे इस परियोजना में शामिल संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव दिया गया कि राज्य स्तरीय (ToT) प्रशिक्षण ViSWA में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए आवश्यक संसाधन इस परियोजना से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस तरह का प्रशिक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेवारी ViSWA को दी जाय तथा इनके द्वारा ही प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित विषयों के विशेषज्ञों/संस्थाओं का चयन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर किया जाएगा। इसके आधार पर Empanelment List तैयार कर आवश्यकतानुसार चयनित प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण module तथा संबंधित सामग्री निर्धारित प्रक्रिया के तहत एजेंसी को Hire कर तैयार कराया जाय। ViSWA इस कार्य में NNP के Project Director तथा Sector experts को consult कर गुणवत्तापूर्ण प्रोग्राम करेगा।

प्रस्ताव सं0–8

VWSC के माध्यम से छोटी योजनाओं के भुगतान की प्रक्रिया जो जिलों/प्रमंडलों को भेजी गई थी उसपर सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया तथा निदेश दिया गया कि VWSCs के द्वारा संधारित की जाने वाली लेखा पुस्तिकाओं का परीक्षण हरेक दो माह पर संबंधित DPMU के वित्तीय विशेषज्ञ करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप संधारित तथा सही हैं। कैशबुक की छायाप्रति VWSC वार DPMU तथा scan करके JSWSMS के Website पर संधारित की जाय।

प्रस्ताव सं0–10

समिति के सदस्यों को सूचित किया गया कि IVA के चयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI) ToR के साथ विभिन्न संस्थानों को प्रेषित किया गया था जिसके आधार पर जाधवपुर विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त है। NIT, Jamshedpur के द्वारा भी IVA का कार्य करने हेतु इच्छा व्यक्त किया गया है परन्तु इनका विस्तृत प्रस्ताव अप्राप्त है। कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर NIT, Jamshedpur से मिलकर उनका विस्तृत प्रस्ताव यथाशीघ्र प्राप्त कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को उपलब्ध करायेंगे।

प्रस्ताव सं0–13 कार्यकारी समिति को जानकारी दी गई कि नीर निर्मल परियोजना अन्तर्गत Outsourcing के द्वारा Placement Agency के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का वेतन वर्त्तमान में PMU, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/उपायुक्त के यहां से जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जा रहा है। इसपर कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि Skilled एवं Semiskilled कर्मियों का देयता परिलब्धियाँ श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित है। कम्प्यूटर संबंधी मामलों में वित्त विभाग/जैप–आईटी का दर अधिसूचित है। इस आदेश/संकल्प/जारी अधिसूचना के आधार पर भुगतान किया जाय।

प्रस्ताव सं0–14 (A) कार्यकारी समिति को जानकारी दी गई कि SLWM हेतु सरायकेला जिले के मुण्डाटांड़ गांव का योजना तैयार किया गया है।

MMTU के संबंध में यूनिसेफ से वार्ता किया गया था परन्तु यूनिसेफ के द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग अपने स्तर से इसका संचालन करें तथा इसमें आवश्यकतानुसार यूनिसेफ तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायेगा। कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्योग विभाग में मेशन प्रशिक्षण से संबंधित कार्य किया जा रहा है जो झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित है।.इसी के आधार पर उद्योग विभाग के संबंधित पदाधिकारी से वार्ता कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

प्रस्ताव सं0–14 (C) जैप–आईटी के द्वारा Server space उपलब्ध कराने के विरूद्ध भुगतान करने की स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान की गई।

कार्यकारी समिति को जानकारी दी गई कि Baseline survey हेतु विश्व बैंक के द्वारा Mobilepedia के माध्यम से एक Software तैयार कराया गया था जिसका Annual Maintenance Contract (AMC) संबंधित राज्यों के द्वारा किया जाना है जिसके ToR पर विश्व बैंक की सहमति प्राप्त है। विश्व बैंक से प्राप्त निदेश के आलोक में Mobilepedia को ToR उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव भेजा गया था जिसके आलोक में इनके द्वारा प्रतिवर्ष रू0 18.80 लाख मात्र का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि चूँकि यह कार्य अन्य परियोजनाधीन

राज्यों में भी किया जाना है। अतः इन राज्यों में लिये गये निर्णयों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव सं0–14 (D) विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि दिनांक 04.06.15 को शासी निकाय की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनुबंध समाप्ति के पूर्व DPMC के कार्यों/आवश्यकताओं की समीक्षा कर कार्यकारी समिति के समक्ष समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय तथा कार्यकारी समिति से प्राप्त निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि DPMC के कार्यों की समीक्षा के संबंध में विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति यथाशीघ्र इनके कार्यों की समीक्षा कर अपने अनुशंसा के साथ अगली कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

मुख्य प्रस्ताव सं0–2 विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP), नीर निर्मल परियोजना, झारखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू0 194.27 करोड़ मात्र का बजट भारत सरकार तथा विश्व बैंक को प्रेषित किया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–11031/02/2014/RWSSP-LIS दिनांक 19.06.15 के अनुसार सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार पूर्व में भेजे गये बजट को revisit करने का निदेश प्राप्त हुआ था, निदेशानुसार revisit करने के उपरांत रू0 148.4947/– करोड़ मात्र का बजट तैयार कर भारत सरकार एवं विश्व बैंक को पुनः प्रेषित किया गया है। पुनरीक्षित वार्षिक कार्य योजना पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

मुख्य प्रस्ताव सं0–3 निदेशानुसार RWSSP-LIS में राज्य स्तर पर अनुबंध पर कार्यरत विशेषज्ञों का Appraisal राज्य स्तर पर गठित समिति के माध्यम से किया गया। इस समिति के द्वारा Appraisal के उपरांत अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, समिति में समीक्षोपरान्त Appraisal Committee की अनुशंसा के आधार पर दो विशेषज्ञों के Professional fees में 5% की वृद्धि

देते हुए सभी विशेषज्ञों को उनकी कार्य समीक्षा के मुख्य बिन्दुओं को सूचित करने का निर्णय लिया गया। इस पर कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यक संशोधन एवं सुझावों के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

मुख्य प्रस्ताव सं0–4 विशेष सचिव सह निदेशक के द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि परियोजनान्तर्गत जिला स्तर पर अनुबंध आधारित रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित चयन प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन विशेष सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। अन्तिम तौर पर तैयार मेधा सूची पर कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है। इस पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी चयन समिति की अध्यक्षता विशेष सचिव सह परियोजना निदेशक के द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी समिति को मात्र सूचना दी जाय साथ ही परियोजना निदेशक को अन्तिम निर्णय लेने हेतु पूर्णतः अधिकृत किया जाता है।

मुख्य प्रस्ताव सं0–5 Support Organisation (S.O.) की चयन हेतु आगे की प्रक्रिया एवं S.O. के साथ एकरारनामा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMUs) के माध्यम से कराये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया साथ ही निदेश दिया गया की एकरूपता बनाये रखने के लिये संबंधित जिलो को एकरारनामा का Standard format उपलब्ध कराया जाया ।

मुख्य प्रस्ताव सं0–6 विशेष सचिव सह निदेशक द्वारा समिति के सदस्यों को जानकारी दी गयी कि जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMUs) में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के कार्यों का Appraisal उनके अनुबंध समाप्ति के एक माह पूर्व किये जाने का प्रस्ताव है। इस Appraisal हेतु राज्य स्तर पर एक प्रपत्र तैयार किया गया है। यह Appraisal संबंधित जिलों के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में की जायेगी जिसमें संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा DWSCs के दो पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस पर कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया तथा निदेश दिया गया कि राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से भी किसी विशेषज्ञ (सामान्यतः मानव संसाधन) को मनोनीत किया जाय जिसमें इनकी उपस्थिति अनिवार्य

होगी तथा इनके द्वारा सभी प्रपत्र/नियम इत्यादि की जानकारी भी सभी को देंगे।

मुख्य प्रस्ताव सं0–7 परियोजनाधीन जिलों के लिए तत्कालीक रूप से जल जाँच करने हेतु 10–10 FT Kit का क्रय पी0एम0यू0 द्वारा क्रय की जाने वाली एजेंसी Tamilnadu Water Supply and Drainage Board (TWAD Board) से किये जाने पर कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्य प्रस्ताव सं0–8 (क) कार्यकारी समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई (SPMU) की स्थापना विभागीय कार्यालय आदेश सं0 13 दिनांक 26.11.2013 के आलोक में किया गया था जिसमें विभिन्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। SPMU में अनुबंध पर रखे जाने वाले अन्य पदों के अलावा लेखापाल का एक पद तथा कार्यालय सहायक का दो पद भी स्वीकृत है। वर्त्तमान मे कार्यालय कार्यों की अधिकता को देखते हुए लेखा कार्यों हेतु एक लेखापाल तथा तकनीकी कोषांग के लिये एक कार्यालय सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है। इन्हें Placement Agency के द्वारा Outsourcing के माध्यम से रखने की स्वीकृति कार्यकारी समिति से प्रार्थित है। उक्त पर कार्यकारी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि लेखापाल के पद पर योग्य एवं जानकार कर्मी को रखा जाय तथा सरकारी/ PSUs से सेवानिवृत्त कर्मी को प्राथमिकता दी जाय एवं कार्यालय सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर को Outsourcing Agency/JAP-IT के माध्यम से कार्यालय कार्य हेतु रखा जाय।

मुख्य प्रस्ताव सं0–8 (ख) S.O. के कार्यों के विरूद्ध भुगतान के लिए तैयार की गई Payment linked deliverables पर सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

मुख्य प्रस्ताव सं0–8 (ग) कार्यकारी समिति को जानकारी दी गई कि कार्यालय में कार्यरत उपनिदेशक (वित्त) द्वारा त्यागपत्र देने के कारण वर्त्तमान में यह पद रिक्त है। पुनः इस पद हेतु किसी सेवानिवृत सक्षम पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध कराने हेतु महालेखाकार कार्यालय, झारखंड से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक किसी भी कार्रवाई की सूचना इनके स्तर से अप्राप्त है।

कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त को देखते हुए उप निदेशक (वित्त) के पद पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर महालेखाकार/भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन किया जाय।

मुख्य प्रस्ताव सं0–8 (घ) कार्यकारी समिति से दिनांक 01.05.2015 को निदेश प्राप्त हुआ था कि JSWSMS में दिया जाने वाला अवकाश Unicef में देय अवकाश के अनुसार दिया जाय। Unicef से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके यहाँ एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश देय है, जो Pro rata basis के आधार पर है। इस संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि JSWSMS के कर्मियों को भी 30 दिनों का वार्षिक अवकाश दिया जाय।

मुख्य प्रस्ताव सं0–8 (ङ) कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि VWSC द्वारा संधारित की जाने वाले विभिन्न आँकड़ों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रारूप राज्य स्तर से तैयार कर परियोजनाधीन जिलों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उक्त प्रपत्रों का मुद्रण कराकर सबंधित VWSCs को उपलब्ध कराया जा सके।

अन्यान्य – परियोजना निदेशक PAD तथा SPMU/WB के निर्देश का अक्षरशः पालन करायेंगे ताकि इसमें कोई विचलन न हो।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

(उपनिदेशक)
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड, राँची

(उप सचिव)
वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची

(उप सचिव)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, राँची

(संयुक्त सचिव)
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची

(अपर सचिव)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची

(विशेष सचिव सह निदेशक)
नीर निर्मल परियोजना
(RWSSP-LIS)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची

(सचिव)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक – JSWSMS/WB/EC-53/2014- 640 राँची/ दिनांक – 28.08.15

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

2. निदेशक पंचायती राज विभाग, झारखण्ड/मुख्य अभियन्ता सह कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/Unicef Project Officer, Water Supply and Sanitation, Ranchi को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सचिव के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/8/15

(जब्बर सिंह)
उपाध्यक्ष–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी
(JSWSMS)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।